

**बिहार सरकार**  
**श्रम संसाधन विभाग**

**अधिसूचना।**

पटना, दिनांक- 28.3.18

एस0 ओ0- दिनांक- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

**अनुसूची-1 (अ)**

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जुलाई,2017	285	4.63 X 4.93	6505.38
अगस्त,2017	285	4.63 X 4.93	6505.38
सितम्बर,2017	285	4.63 X 4.93	6505.38
अक्टूबर,2017	287	4.63 X 4.93	6551.03
नवम्बर,2017	288	4.63 X 4.93	6573.85
दिसम्बर,,2017	286	4.63 X 4.93	6528.20
<b>योग :-</b>			<b>39169.22</b>

औसत -  $39169.22 \div 6 = 6528.20$

**अनुसूची-1 (ब)**

अनुसूचित नियोजन का नाम	अधिसूचना संख्या -दिनांक- गजट सं0-दि0-	कुल
69 नियोजन- सामान्य कार्य	4835, 4836 15.09.2017 858 दि0-19.09.2017	<b>69- अनुसूचित नियोजन</b>

- (1) कॉ-ऑपरेटिव सेक्टर - (2) अल्मुनियम उधोग (3) खंडसारी उधोग (4) केमिकल एंड फर्मास्यूटिकल उधोग (5) साबुन निर्माण उधोग (6) सिमेन्ट प्री-स्ट्रेटेडेड प्रोडक्ट्स उधोग (7) एस्वेस्टस सिमेंट उधोग (8) ग्लास शीट निर्माण (9)बन्दूक करखाने (10) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान (11) पेपर उधोग (12) लौण्ड्रीज एंड वासिंग (13) होजियरी निर्माण (14) सिन्दुर एवं रंग बनाने का उधोग (15) चर्म वस्तु निर्माण (16) उड वर्क्स फर्नीचर (17) आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स (18) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस (19) फिशरीज (20) खादी एवं ग्राम उधोग (21) प्राइवेट फेरीज एंड एल.टी.सी (22) जिल्दसाजी उधोग- (23) दफ्ती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड कारगरेक बोर्ड,एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण (24) इलेक्ट्रॉनिक्स उधोग (25) सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उधोग

(26) प्लाईवुड उद्योग (27) बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरोसेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग (28) ढलाई (फाउन्ड्री) उद्योग (29) रबड एवं कम्पाउंड उद्योग (30) बिस्कुट उद्योग (31) कोल ब्रिकेट उद्योग (32) सिलाई उद्योग- (33) हैंडलूम उद्योग-(34) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स- (35) डिस्ट्रीलरीज- (36) प्लास्टिक उद्योग- (37) मिनरल ग्राईडिंग उद्योग (38) शीशा उद्योग (ग्लास शीट छोड़कर) (39) डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश- (40) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण (41) चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं-(42) चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल- (43) तेल मिल- (44) मुद्रणालय- (45) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान- (46) पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट-(47) ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले- (48) कोल्ड स्टोरेज-(49) लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित दूकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले )- (50) बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य- (51) सड़को के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य- (52) बेकरीज एवं कन्फेक्सरीज- (53) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें- (54) होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं- (55) अबरख कार्य (खादान को छोड़कर)-कारखाना एवं प्रतिष्ठान (56) सिनेमा उद्योग- (57) किसी भी विश्वविद्यालय शैक्षणिकशोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान- (58) प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी- (59) रिफ्रेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग-(60) पौट्रीज- (61) औटोमोवाइल इंजिनियरिंग शौप्स- (62) हार्ड कोक भट्टे-(63) कूरियर सेवा (64) चूड़ा मिल (65) इलेक्ट्रोकास्टिंग एवं मेटल फरनिशिंग उद्योग (66) अभियंत्रण उद्योग ( 50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले ) (67) लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य (68) जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य (69) सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग।

### अनुसूची -II

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	दिनांक-01.12.2016+01.04.2017+ 01.10.2017 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपयें में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक- 01.04.2018 से प्रभावी होगी	01.04.2018 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	237.00+5.00+5.00=247.00	7.00	254.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	247.00+5.00+5.00=257.00	8.00	265.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	301.00+6.00+6.00=313.00	9.00	322.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	367.00+7.00+7.00=381.00	11.00	392.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय/लिपिकीय	6799.00+136.00+139.00=7074.00	212.00	7286.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हैं। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस बिन्दु पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो, तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से जुलाई-दिसम्बर, 2017 के औसत के आधार पर अप्रैल, 2018 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाहीं के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-403 /07 श्र0सं0-  
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

1453  
28/03/2018  
( मोहन रजक )  
अवर सचिव।

## अधिसूचना

पटना, दिनांक- 28.3.18

एस0ओ0 दिनांक का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-403/07 श्र0सं0-1454)  
बिहार राज्यपाल के आदेश से,

28/03/2018  
( मोहन रजक )

अमर सचिव।

## NOTIFICATION

Patna, dated- 28.3.18

S.O. Date In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

### Schedule-1 (A)

Month & Year	Index N0 Base Year (2001-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
July,2017	285	4.63 X 4.93	6505.38
August,2017	285	4.63 X 4.93	6505.38
September,2017	285	4.63 X 4.93	6505.38
October,2017	287	4.63 X 4.93	6551.03
November,2017	288	4.63 X 4.93	6573.85
December,2017	286	4.63 X 4.93	6528.20
<b>Total</b>			<b>39169.22</b>
<b>Average :-</b>			<b>39169.22 ÷ 6</b> <b>= 6528.20</b>

**SCHEDULE-I(B)**

Name of employment		Total
<b>69-General Work</b>	Notification No- 4835, 4836 dated- 15.09.2017 Gazette No.- 858 dated- 19.09.2017	<b><u>69 Scheduled Employment</u></b>

(1) Co-operative Sector (2) Aluminum Industry (3) Khandsari industry  
(4) Chemical and Pharmaceutical Industry (5) Soap Making Industry  
(6) Cement Pre - stressed product Industry (7) Asbestos Cement Industry  
(8) GlassSheet Industry (9) Gun factories (10) Religious & Social Institution  
(11) Paper Industry (12) Laundry & washing (13) Hosieries Manufactory  
Corrugated Board, Straw (14) Manufacture of Sindur & Rang  
(15) Manufacture of Leather good (16) Wood works & furniture (17) Ice  
Cream and Cold Drinks (18) Petrol and Diesel Pump (19) Fisheries (20) Khadi  
and Village Industries (21) Private Ferries & LTC (22) Book binding Industry  
(23) Dafti, Card Board, Mill Board, Paper Board, Corrugated Board, Straw  
Board or Gatta Paper Boar Manufactory.(24)Electronics Industry (25) Cement  
Hume pipe, Electric pole and Railway Sleeper manufactures Industry  
(26) Plywood Industries (27) Electric and other type of Bulbs and Florence  
tubes (28) Foundry Industries (29) Rubber and Rubber Compound Industry (on  
which manufacture) (30) Biscuit Industry (31) Coal briquette Industry  
(32) Tailoring Industry (33) Handloom Industry (34) Private Hospitals,  
Nurshing Home and Clinic (35) Distilleries (36) Plastic Industries (37) Mineral  
Grinding Industry-(38) Glass Industries (excluding glass sheet) (39) Dairies and  
Poultry Farms (40) Manufacture of Gold, Silver Ornaments & article of artistic  
design.(41) Tanneries Leather Technology (42) Rice Mills, Flour Mills & Dal  
Mills (43) Oil Mills-(44) Printing Press (45) Any Shops or Establishment  
(46) Public Motor Transport-(47) Any woolen carpet making or shawl weaving  
establishment.(48) Coal Storage-(49) Minor Engineering Industry (excluding  
Automobile Engineering Shops less than 50 workers.) (50) Dam Construction  
& Irrigation (51) Construction or Manufactory of Road or in Building  
Construction (52) Bakeries and Confectioneries (53) Shops selling cooked food  
stuff (54) Hotels Eating House and Restaurants.-(55) Mica work( Factory &  
Establishment excluding Mine) 56-Cinema industry.(57) Any University,  
Educational, Research or cultural Institutions. (58) Private Security  
(59) Refectories Fire Bricks& Ceramic Industry. (60) Potteries (61) Automobile  
Engineering Shops (62) Hard Coke Industry (63) Currier Service (64) Frittered  
Rice (65) Electro Casting and Metal Furnishing (66) Engineering Industries  
( Employment more than 50 workers ) (67) Rolling of Iron Rod, Plates, Angles  
etc.,works (68) Jute Industry & Similar works (69) Information Technology.

**SCHEDULE -II**

Sl. No.	Categories of Workers	From Dated- 01.12.2016+01.04.2017+ 01.10.2017 Minimum Wage Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date 01.04.2018	Total rates of wages effective from the date 01.04.2018 (Column 3+4)
1	2	3	4	5
1.	Unskilled	237.00+5.00+5.00=247.00	7.00	254.00 Perday
2.	Semi skilled	247.00+5.00+5.00=257.00	8.00	265.00 Perday
3.	Skilled	301.00+6.00+6.00=313.00	9.00	322.00 Perday
4.	Highly Skilled	367.00+7.00+7.00=381.00	11.00	392.00 Perday
5.	Supervisory/Clerical	6799.00+136.00+139.00=7074.00	212.00	7286.00 Permonth

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employments. There will be increase or decrease in rates of wages shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employments and will be deemed as Variable Dearness Allowance components . But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **July-December,2017** will be payable at the aforesaid rates from **April,2018** and thereafter increase or decrease in the amount of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No-5/ M.W.- 403 /07 L&R-<sup>1453</sup>)  
By the order of the Governor of Bihar,

<sup>28/3/2018</sup>  
( Mohan Rajak )  
Under Secretary.

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403/07 श्र0सं0-

1454

पटना, दिनांक- 28-3-18

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

मोहन रजक  
28/3/2018

(मोहन रजक)

अवर सचिव ।

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403/07 श्र0सं0-

1454

पटना, दिनांक- 28-3-18

प्रतिलिपि- निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/ निदेशक, श्रम व्यूरो, शिमला एवं चंडीगढ़ / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना / मुख्य सचिव, बिहार, पटना / बिहार सरकार के सभी प्रधान सचिव/ सचिव/ विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त /महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/ सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप श्रमायुक्त (कृ0श्र0सहित)/ सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा / सभी सहायक श्रमायुक्त (कृ0श्र0सहित) सभी श्रम अधीक्षक (कृ0श्र0सहित) निदेशक, कृ0श्र0, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/ मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

मोहन रजक  
28/3/2018

(मोहन रजक)

अवर सचिव ।

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403/07 श्र0सं0-

1454

पटना, दिनांक- 28-3-18

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग सह-अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद / सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद / सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना-01 / सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना / प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना / उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना /उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/ मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना /मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मों एवं कार्यालय को अपने-अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ।

मोहन रजक  
28/3/2018

(मोहन रजक)

अवर सचिव ।

ज्ञापांक-5/एम0डब्लू-403/07 श्र0सं0-

1454

पटना, दिनांक- 28-3-18

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

मोहन रजक  
28/3/2018

(मोहन रजक)

अवर सचिव ।